रजिस्ट्री सं० डी (डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 1975/श्रावण 11, 1897
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 1975/SRAVANA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 932.—मंत्रिमण्डल सचिवालय का कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 की प्रथम अनुसूची के पैरा 2क के उप-पैरा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक श्रेणी (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1974 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् —

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक श्रेणी (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) संशोधन विनियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक श्रेणी (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1974 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), विनियम 4 में उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) फीस—वह ऐसी फीस का संदाय करेगा, जिसे संस्थान समय-समय पर विहित करे, परन्तु नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उपदर्शित प्रवर्गों के अभ्यर्थी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में उपदर्शित फीस का संदाय करेंगे।

सारणी

(1)	(2)
(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी—	संस्थान द्वारा समय-समय पर विहित फीस का एक चौथाई भाग।
(ii) फीस में छूट या रियायत या दोनों के लिये सरकार द्वारा समय-समय अधिसूचित व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों या प्रवर्गों के अभ्यर्थी	फीस का वह अनुपात, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार समय-समय पर जारी किये गये आदेशों में विहित करें।

3. उक्त विनियमों के विनियम 8 में, निम्नलिखित विनियम रखा जायेगा, अर्थात् —

"(1) परीक्षा में सफलता चयन का अधिकार प्रदान नहीं करती है, जब तक कि केन्द्रीय सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाये, यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा में उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए, चयन के लिये सभी प्रकार उपयुक्त है :

परन्तु इस बारे में विनिश्चय कि वह विशिष्ट अभ्यर्थी, जिसके चयन किये जाने की सिफारिश संस्थान ने की है, उपयुक्त है या नहीं, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जायेगा।"

[संख्या 6/7/74-सी० एस० (1)]

(2) चौथी पंक्ति में "तियग" के स्थान पर "नियम" पढ़ें ।

पृष्ठ 906 पर—

(3) छठी पंक्ति मे "भानत्र" के स्थान पर "मानत्र" पढ़े ।

(4) नौवीं पंक्ति मे "मैल्स्य" के स्थान पर "मैन्य" पढ़ें ।

(5) पन्द्रहवीं पंक्ति में "सकेसक" के स्थान पर "संचेतक" पढ़ें ।

(6) सत्रहवीं पंक्ति मे "तन्क्षण" के स्थान पर "तत्क्षण" पढ़े ।

(7) बीसवीं पंक्ति में "तथा" शब्द का लोप किया जाएगा ।

(8) चौबीसवीं पंक्ति में "ग्रन्य" के स्थान पर "ग्रन्य" पढ़ें ।

(9) पच्चीसवीं पंक्ति में "राजकीय" "निजी प्रेम" के स्थान पर "राजकीय निजी, प्रेस" पढ़े ।

(10) उन्तीसवीं पंक्ति मे "एकमप्रैस" के स्थान पर "एक्सप्रेस" पढ़े ।

(11) तीसवीं पंक्ति में "एक्सप्रैस" के स्थान पर "एक्सप्रेस" पढ़े ।

पृष्ठ 906 पर ही —

उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ मे —

(1) अट्ठारहवीं पंक्ति मे "नात्कालिक" के स्थान पर "तात्कालिक" पढ़े ।

(2) तेइसवीं पंक्ति मे "तृफादके" के स्थान पर "तूफान" पढ़े ।

(3) पच्चीसवीं पंक्ति मे "मृत्य" के स्थान पर "मृत्यु" पढ़े ।

(4) पच्चीसवीं पंक्ति में "तत्क्षणा" के स्थान पर "तत्क्षण" पढ़ें ।

(5) सत्ताइसवीं पंक्ति में "प्रेम" के स्थान पर "एक्सप्रेस" पढ़ें ।

(6) अट्ठाइसवीं पंक्ति में, राजकीय निजी प्रेस" के स्थान पर "राजकीय, निजी, "प्रेस" पढ़े ।

(6) उन्तीसवीं पंक्ति में "बधाई" के स्थान पर "बधाई" पढ़ें ।

(7) बत्तीसवीं पंक्ति मे "राजकीय निजी प्रेम" के स्थान पर "राजकीय, निजी, प्रेम" पढ़े ।

(8) तेतीसवीं पंक्ति में, "बधाई" के स्थान पर "बधाई" पढ़े ।

(9) चौंतीसवीं पंक्ति में "नामूली" के स्थान पर "मामूली" पढ़े ।

[संख्या 70/1/74-टी-2]

प्रकाशलाल धींगरा, सहायक महानिदेशक (तार)

New Delhi, the 23rd July, 1975

CORRIGENDUM

G.S.R. 976.—In the notification of the Government of India in *the Ministry of Communications (Posts and Telegraph Board)* No. G.S.R. 362 dated the 5th March, 1975, published on page 906 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15 March, 1975—

(i) against item (f) for "(ग्रन्य प्रेस)"

read "(ग्रन्य एक्सप्रेस)"

(ii) against item (i), for "(नामूली बधाई)"

read "(मामूली बधाई)".

[No. 70-1/74/T-2]

P. L. DHINGRA, Asstt. Director General (Tar)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1975

सा० का० नि० 977.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 की अनुसूची में, क्रम संख्या 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के उपरान्त इस अधिसूचना के साथ सलग्न अनुसूची मे निर्दिष्ट क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी ।

3. समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियमावली, 1960 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है ।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
24 प्रशासनिक अधिकारी (समाचार सेवा प्रभाग)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-2, राजपत्रित	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपये (संशोधित)	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : प्रशासनिक अधिकारी जिसका इस ग्रेड (650-30-740-35-830-द० रो०-40-960-रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष का अनुभव हो ।	श्रेणी-2 विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

[फाइल सं० 1/12/73-बी० (ए)]

एम० एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th April, 1975

G.S.R. 977.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, after Serial No. 23 and the entries relating there to the Serial number and entries specified in the Schedule hereto annexed shall be inserted.

3. The News Services Division, All India Radio, New Delhi (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1960 is hereby repealed.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8
"24.	Administrative Officer (News Services Division)	1	General Central Services, Class II Gazetted	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 (Revised)	Selection	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By promotion	Promotion : Administrative Officer Rs. 650-30-740-35-830-EB-40-960) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class II Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958."

[File No. 1/12/73-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 978.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति फिल्म प्रभाग (श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 पद भर्ती) नियमावली, 1959 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1 (1) इन नियमों को फिल्म प्रभाग (श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 पद भर्ती) संशोधन नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 फिल्म प्रभाग (श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 पद भर्ती) नियमावली, 1959 की अनुसूची में, स्टूडियो बाय के पद से संबंधित क्रम संख्या 58 के सम्मुख कालम 10 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी।

"अनिवार्य .—

प्राथमिक स्कूल स्तर की परीक्षा पास।

वांछनीय :—

(1) फिल्म स्टूडियो में एक वर्ष का अनुभव।

(2) मिडिल स्कूल स्तर की परीक्षा पास।"

[संख्या 3/8/70-एफ(ए)]
के० पी० के० नायर, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 1975

G.S.R. 978.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts), Amendment Rules 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1959, against serial number 58 relating to the post of Studio Boy, in column 10, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

"Essential :

Primary School Standard Pass

Desirable :

(i) One year's experience in a Film Studio.

(ii) Middle School Standard pass."

[No. 3/8/70-F(A)]

K. P. K. NAYAR, Under Secy.